न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौकरिया, RAS

अपील संख्या 168 / 2022

1 मूलचन्द उम्र 63 साल पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5 शिवचन्द उम्र 68 साल पुत्र मोहनलाल।
6 नरेन्द्र उम्र 53 साल पुत्र मोहनलाल।
7 जयप्रकाश पुत्र उम्मेद सिंह।
8 सत्यवीर पुत्र उम्मेद सिंह।
9 मदनलाल पुत्र भगवानाराम।
10 राजेश पुत्र भगवानाराम।
11 श्रीचन्द पुत्र भगवानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अधीनस्थ भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

12 प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट नवलगढ़ जिला झुंझुनू
बउनवानी मूलचन्द बनाम अधिशाषी अभियन्ता आदि
आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 127/2022
आदेश दिनांकित 20.10.2022

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 6-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 127/2022 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 का खेत खसरा नम्बर 911 रकबा 0.700 हैक्टेयर ग्राम कारी में स्थित है जिस पर न्यायालय अदालत मातहत के समक्ष एक राजस्व वाद बंटवारा का मुकदमा नम्बर 34/2008 का निर्णय प्राथमि रूप से हुआ तथा विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

प्रस्ताव में उक्त भूमि अपीलांट के हक में कब्जे काश्त के आधार पर हिस्से में आई तथा वर्तमान में अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज है व काश्त करता है परन्तु अन्तिम डिक्री अभी उक्त वाद में नही बनी है इस कारण से रेवेन्यू रिकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 का नाम दर्ज है इस कारण से अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद व आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तथा अपील में रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 को औपचारिक फरीक बनाया गया है। अपीलांट के कब्जे काश्त व हक हिस्से के उक्त खसरा नम्बर 911 के दक्षिण दिशा में कटानी रास्ता खसरा नम्बर 2165/1122 जो डुण्डलोद फाटक से जाखल होते हुये सौन्थली जाने वाला व उसके बाद खेत खसरा नम्बर 1215 व 1216 स्थित है जो रेस्पोडेंट संख्या 7 लगाकर 11 की खातेदारी का है। वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 उक्त रास्ता पर डामरीकृत सड़क निर्माण का कार्य कर रहे है तथा इस उदेश्य से उक्त कटानी रास्ता को चौड़ा करने के निमित रेस्पोडेंट संख्या 4 ने अवाप्ती अधिकारी की हैसियत से भूमि अधिग्रहण की है जो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 911 में से 0.07 हैक्टेयर तथा रेस्पोडेंट संख्या 7 लगायत 11 के खेत खसरा नम्बर 1215 में से 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1216 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण की है जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंटगण 7 लगायत 11 के खेत रास्ते के दोनो तरफ बराबर दुरी पर स्थित है तथा रास्ते के दोनो तरफ बराबर भूमि अवाप्त की जानी चाहिए थी परन्तु अवाप्ती अधिकारी ने रेस्पोडेंट संख्या 7 लगायत 11 को फायदा पंहुचाने की गरज से नियम विरूद्व भूमि अधिग्रहण की तथा वर्तमान में सड़क का निर्माण कार्य अधिग्रहीत की गई भूमि से हट कर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 911 में सम्पूर्ण सड़क का निर्माण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 कर रहे है तथा कटानी रास्ता व अवाप्त भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 7 लगायत 11 के कब्जे में छोड़ दिया जिससे वे काश्त कर रहे है तथा सड़क सम्पूर्ण अपीलांट के खेत में से बनाने पर आमादा होने पर अपीलांट ने एक दावा व दावा के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया व नियम विरूद्व बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य को रूकवाये जाने

ADL

बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तूत किया तथा अदालत मातहत से निवेदन किया कि नियम विरूद्व बनाई जाने वाली सड़क को रोका जाकर अपीलांट की काश्त की भूमि को खुर्दबुर्द करने से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 को दौराने दावा रोका जावे परन्तु अदालत मातहत पूर्व से ही प्रिज्यूडिस थी ओर बीना किसी मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना अपीलांट के अन्तरिम अनुतोष को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय के सन्दर्भ में तहसीलदार नवलगढ़ से रिपोर्ट मांगी गई थी तब तहसीलदार ने रिपोर्ट बनाई थी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी की 0.11 हैक्टेयर भूमि पर सड़क हेतू अर्थवक किया जाना तथा खसरा नम्बर 1243 में 0.04 हैक्टेयर भूमि पर अर्थवर्क किया जाने की रिपोर्ट तहसीलदार ने की थी जबकि कटानी रास्ते के दोनों तरफ से बराबर भूमि अवाप्त की जाती तो प्रार्थी के खेत में से केवल 0.055 हैक्टेयर भूमि पर ही रोड़ हेतु अर्थवर्क किया जाना चाहिए था जबकि अर्थवर्क हेतू अवाप्त की गई भूमि 0.07 हैक्टेयर की बजाय 0.11 हैक्टेयर भूमि पर किया जा रहा है। अपीलांट की शिकायत पर दिनांक 12.10.2022 को तहसीलदार ने पटवारी से मौका रिपोर्ट मांगी गई है जिसमें भी प्रार्थी की भूमि से 0.03 हैक्टेयर भूमि अधिक अवाप्त किया जाना साबित है। इस प्रकार से प्राईमा फेसी ही सड़क निर्माण कार्य व भूमि अवाप्ती की कार्यवाही दुषित प्रतीत होती है जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा के निर्णय से ही तय होनी थी कटानी रास्ता के दोनो तरफ से ही बराबर भूमि अवाप्त होनी चाहिए थी तथा सड़क निर्माण कटानी रास्ता पर व रास्ता विस्तार की दशा में दोनों तरफ से बराबर भूमि ली जाकर सड़क चौड़ी होनी चाहिए थी परन्तु मौके पर रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 4 ने पहले तो प्रार्थी की भूमि में से 0.03 हैक्टेयर भूमि अधिक अवाप्त की तथा वर्तमान में अवाप्त की गई भूमि से ही अधिक भूमि 0.11 हैक्टेयर पर सड़क बनाना चाह रहे है तथा रेस्पोडेंटगण 7

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

लगायत 11 को अनूचित फायदा पंहुचाना चाहते है। अत अपील स्वीकार कर खसरा नम्बर 911 की मौके की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पर सड़क निर्माण कार्य किया जाना है। अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि पर स्थगन चाहा गया था। विचारण न्यायालय ने पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त विधि सम्मत रूप से अपीलांट का आवेदन अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने रास्ते/सड़के के सन्दर्भ में लोकहित का मामला मानते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया है। अपीलांट का मूल आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अन्तिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 को आगामी एक माह में अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करे। तब तक उभयपक्ष आज दिनांक की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 6.11.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर